(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2017/4366 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.08.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 87/अपील/2014-15.

विट्ठल राव आ. श्री अन्ना कुनबी
निवासी ग्राम धाबला तहसील मुलताई,
जिला बैतूल, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. ठगोबाई आ. श्री अन्ना कुनबी
2. रेखाबाई आ. श्री अन्ना कुनबी
   दोनों निवासीगण ग्राम धाबला,
   तह. मुलताई जिला बैतूल
3. आशाबाई आ. श्री अन्ना कुनबी
   साकिन द्वारा चिन्ध्या उपासे,
   निवासी ग्राम रायआमला तहसील मुलताई
   जिला बैतूल, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री रत्नेश, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 31/10/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 17.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार, मुलताई के समक्ष मौजा हिरडी खसरा नम्बर 2 रकबा 1.785 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 20 रकबा 0.364 हैक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 118 रकबा 0.162 हैक्टेयर जुमला रकबा 2.311 हैक्टेयर तथा ग्राम धाबला स्थित भूमि खसरा नम्बर 94 रकबा 0.745 हैक्टेयर तथा शामिलाती भूमि मौजा हिरडी खसरा नम्बर 114/41 रकबा 2.161 हैक्टेयर पर राजस्व रिकॉर्ड में वसीयत पत्र के आधार पर नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र.19/अ-6/2009-10 दर्ज कर दिनांक 26.02.2010 को आवेदक का नामांतरण आदेश पारित किया गया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनावेदक श्रीमती ठगोबाई द्वारा अनुविभागयी अधिकारी, मुलताई के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13.12.2014 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 17.08.2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के मालकियत की भूमि है, जिसमें आवेदक का हक एवं स्वत्व व हिस्सा जन्म से ही है तथा अनावेदकगण ने आवेदक के पिता की मृत्यु होने के पश्चात् स्वत: ही अपना हक त्याग दिया था। ऐसी स्थिति में अनावेदकगण का अपने पिता की मृत्यु के बाद से ही कोई हक एवं हिस्सा निहित नहीं होने से नायब तहसीलदार के द्वारा अनावेदकगण की जानकारी में आदेश पारित किया गया था, जो कि वैधानिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य है, परंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को बिना सुने व आवेदक के बिना जानकारी के व बिना गुण दोषों के आधार पर आदेश पारित कर विधि की गंभीर भूल की जाने से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश एवं आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

(2) नायब तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 109, 110 व विधि के प्रावधानों के अनुसार नामांतरण नियमावली के आधार पर प्रक्रिया का पालन कर एवं पक्षकारों को विधिवत

सूचना पत्र देकर, ईश्तहार का प्रकाशन कर विधिवत आदेश पारित किया गया था, परंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की अवैधानिक तामीली को मानकर आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अवैधानिक आदेश पारित किया गया, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(3) नायब तहसीलदार द्वारा वसीयत पत्र को प्रमाणित कर वैधानिक आदेश पारित किया गया है। यदि अनावेदक क्र. 1 ठगोबाई को उक्त वसीयत पत्र में उल्लेखित भूमि में हक एवं स्वत्व का निर्धारण करना है तो अनावेदक को सक्षम व्यवहार न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर हक का निर्धारण करना होगा ना कि उक्त वसीयत की अपील प्रस्तुत करना होगा, परंतु ठगोबाई द्वारा उक्त अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर आवेदक से अनैतिक लाभ प्राप्त करने की कलुषित भावना से पेश की गई है, जिस पर विचार ना कर आदेश पारित करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा गंभीर भूल की गई है, जो कि निरस्ती योग्य हैं।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दिनांक 08.01.2014 से लंबित था, जिसे बिना आवेदक विट्ठलराव को सूचना दिये बिना ही प्रकरण कार्यवाही में लिया गया, ठगोबाई के द्वारा अन्य अनावेदकगण के सहयोग से आवेदक को क्षति कारित करने के आशय से अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से स्पष्ट जानकारी दिये बगैर ही अपने पक्ष में बिना आवेदक को सुने अवैधानिक एवं आलोच्य आदेश पारित दिनांक 13.12.2014 एवं आयुक्त का आदेश दिनांक 17.08.2017 को पारित करा लिया गया, जो कि पूर्णत: विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

आवेदक द्वारा उपरोक्त लिखित तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने तथा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदकगण के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 109-110 का बगैर पालन किये हुये तथा वसीयतनामा को नियमानुसार सिद्ध किये बगैर विवादितआदेश पारित किया गया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि

नहीं की गई है । अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप किये जाने का कोई वैधानिक आधार इस निगरानी में नहीं है । इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्दस्वरूप व अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है -

> "धारा - 50 - समवर्ती निष्कर्ष - अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये ।"

अत: उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.08.2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर